

मैं दुर्घटनाओं की रिपोर्ट किस प्रकार करूँ ? (How do I report accidents?)

रिपोर्टिंग ऑफ़ इन्जरीस, डीसीजेज एन्ड डेन्जरेस अकरेन्सेस रेग्युलेशन्स 1995 (RIDDDOR) में अपेक्षा है कि मृत्यु या बड़ी चोटों, तीन दिन से अधिक तक बनी रहने वाली चोटों, कुछ बीमारियों और कुछ खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट की जाए.

सभी दुर्घटनाओं, बीमारियों और खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट घटना सम्पर्क केन्द्र (ICC) में की जाए. यह केन्द्र पहली अप्रैल 2001 को स्थापित किया गया तथा यह यूके में सभी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए यह एकल केन्द्र हैं.

आन निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं :

फोन : 0845 3009923 ((सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 8.30 से सांय 5.00 बजे तक).

इन्टरनेट : www.riddor.gov.uk

फैक्स : - 0845 3009924 (रिपोर्टिंग फार्म फैक्स कीजिए) या

डाक से: Incident Contact Centre, Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3GG

आप अभी भी सम्बन्धित मुद्रित फार्म को पूरा भरकर अपने स्थानीय HSE कार्यालय या लोकल अथॉरिटी को मेल कर सकते हैं. ये हैं :

- **F2508- Report of an injury or dangerous occurrence**
- **F2508A- Report of a case of disease**
- **F2508G1- Report of a flammable gas incident**
- **F2508G2- Report of a dangerous gas fitting**
- **F2508OIR9b - Report of an injury or dangerous occurrence offshore**

इन रिपोर्टों की प्रोसेसिंग के लिए ICC को भेजा जाएगा.